MOST IMMEDIATE
BY SPEED POST / E-MAIL

No. 3(3)/2010-NB&AC
Government of India
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)
Office of the Development Commissioner (MSME)
(NB & AC Division)
****

7th Floor, 'A' Wing, Maulana Azad Road,
Nirman Bhavan, New Delhi-110108
Dated: 23rd March 2010

Subject: Agenda for the Seventh Meeting of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises (NBMSME) scheduled on 07th April, 2010 (Wednesday), 11.00 A.M. at New Delhi.

....

This has reference to letter No. 2(2)/2010-NB&AC dated 10 March 2010. Agenda Notes of the Seventh Meeting of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises (NBMSME) along with a 'Short Note /Guidelines' are enclosed. The 'Agenda Papers' may also be accessed at our website www.dcmsme.gov.in .

2. The meeting will be held on 7 April 2010 (Wednesday) at 11.00 A.M. in Hall No. 4 (First Floor) Vigyan Bhavan, Maulana Azad Road, New Delhi - 110108

3. Kindly make it convenient to attend the meeting and reach the meeting venue by 10.30 hrs. A line in confirmation is requested.

Encl.: As above.

(Madhav Lal)
Additional Secretary & Development Commissioner (MSME)
& Member Secretary (NBMSME)
Tel.: 011-23061176
Fax: 011-23062315
E-mail: dcmsme@nic.in

To

1. **PS to Hon'ble Minister of State (IC) (MSME) / Vice-Chairperson and all the Members, NBMSME / Sr. PPS to Secretary (MSME) / Special Invitees for NBMSME.**
2. AS&FA(MSME) / JS (MSME) (PK) / JS (MSME) (SKP), EA (RKM), Udyog Bhavan, New Delhi
3. ADC&EA / ADC(Pol.)/DDG (GS)/ EA (MPS) / JDC (HSM) / JDC (AB) / JDC(DP), AEA / AIA, O/o the DC (MSME)

Copy to:
SENET Division, O/o the DC (MSME)

सत्यमेव जयते

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड की सातवीं बैठक

7 अप्रैल 2010

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

कार्यसूची टिप्पणियाँ

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

<u>**विषय सूची**</u>

कार्यसूची मद सं	मद	पृष्ठ सं
1	23, अक्तूबर, 2008 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की छठीं बैठक में उठाए गए मुद्दों/बिन्दुओं पर कृत कार्रवाई नोट	1-12
2	एमएसएमई के लिए ऋण संबंधी मुददों पर केन्द्रित प्रधान मंत्री कार्य दल की रिपोर्ट पर चर्चा	
	भाग - 1 : रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण	13
	1 पृष्ठभूमि	13
	2. एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित मुख्य मुद्दे	13
	3. सिफारिशें	14
	क. जिन उपायों पर तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है	14-15
	ख. मध्य कालिक संस्थानिक उपाय (जिन्हें लगभग एक वर्ष के भीतर प्राप्त किया जाना है)	15-17
	ग. कानूनी और विनियामक ढांचे (जो कि 1-3 वर्ष में शुरू किए जाने हैं)	17
	घ. पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू व कश्मीर	17-18
	भाग II : ऋण संबंधी सिफारिशें	
	4.एमएसई क्षेत्र को ऋण से संबंधित मुद्दे और उनकी स्थिति	18-22
	भाग III : स्थिति/कृत कार्रवाई	22
3	अध्यक्ष की अनुमति से कोई और बिंदु	22

23, अक्तूबर, 2008 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की छठीं बैठक में उठाए गए मुद्दों/बिन्दुओं पर कृत कार्रवाई नोट

बैठक में उठाए गए मुद्दे/बिन्दु	कृत कार्रवाई/टिप्पणियां
आरबीआई/बैंकों से संबंधित मुद्दे	
1 कार्यदल (डॉ.के.सी.चक्रवर्ती की रिपोर्ट) में यह उल्लेख किया गया है कि 5 लाख रू. से कम के ऋणों का प्रतिशत 1.96 से घटकर 1.14 प्रतिशत हो गया है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार क्रेडिट की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक से सत्यापित किए जाने तथा एमएसई को क्रेडिट की उपलब्धता के संबंध में वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट किए जाने की आवश्यकता है। (पैरा सं. 8 और 9)	भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्लांट और मशीनरी में 5 लाख रू. तक के निवेश वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (विनिर्माणरत उद्यम) को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से अग्रिमों की मात्रा में 2.9% प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है यानि मार्च 2008 के अंत तक की स्थिति 26,916 करोड़ रू. से सितम्बर, 2008 के अंत तक 27,696 करोड़ रू. तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि विनिर्माणरत उद्यमों को कुल एमएसई क्रेडिट के संदर्भ में उपरोक्त अवधि के दौरान यह प्रतिशत 19.7 प्रतिशत से घटकर 18.9 प्रतिशत रह गया है। सेवा उद्यमों की श्रेणी में 2 लाख रू. तक के निवेश वाले उद्यमों को इन बैंकों से प्राप्त होने वाले अग्रिमों में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 13,581 करोड़ रू. से 14,969 करोड़ रू. तक की बढ़ोतरी हुई है। सेवा उद्यमों को कुल एमएसई क्रेडिट के संदर्भ में हालांकि उपरोक्त अवधि के दौरान इस श्रेणी में प्रतिशत के संबंध में अग्रिम 21.2 प्रतिशत से बढ़कर 22.8 प्रतिशत हो गया है।
2. बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तथा इसके संबंध में आरबीआई द्वारा निगरानी की जानी चाहिए। इसके अलावा एक शिकायत निवारण व्यवस्था भी होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक जरूरतमंद उद्यमियों को क्रेडिट के सुगम प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को निर्देश दे सकता है। **(पैरा सं. 11 और 18)**	जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्ट दी गई है, भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष आरबीआई के निर्देशों का पालन न किए जाने संबंधी मामलें उठाने पर बैंकिंग ओमबड्समैन योजना के तहत अथवा आरबीआई के संबंधित विभाग द्वारा बैंकों के साथ विषय पर विचार करके उनका निवारण किया जाता है। बैंकों की अपनी निजी आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था भी होती है। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रादेशिक निदेशकों की अध्यक्षता में सशक्त समितियां गठित की गई हैं। ये समितियां जिनमें राज्य सरकार, सिडबी और चुनिंदा एमएसई संघों के अधिकारी शामिल होते हैं, त्रैमासिक बैठकें आयोजित करती हैं और एमएसई से संबंधित विषयों पर विचार करती हैं तथा इन बैठकों के दौरान एमएसई क्षेत्र के सामने आने वाली सामान्य

	शिकायतों पर विचार किया जाता है तथा उनके समाधान का पता लगाया जाता है।
3. एमएसएमई का क्रेडिट 1990 में 15 प्रतिशत से घटकर अब 6.5 प्रतिशत हो गया है इसलिए यह आवश्यक है कि आरबीआई एमएसई के लिए एन बी सी ऋण का कुछ प्रतिशत आरक्षित रखे। **(पैरा सं. 12)**	आरबीआई ने रिपोर्ट दी है कि एन बी सी के प्रतिशत के संबंध में एमएसई को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बैंक क्रेडिट में *2007 तक* गिरावट आई है परन्तु 2008 में यह बढ़कर 10.9 प्रतिशत हो गया है। एमएसई के लिए अलग लक्ष्य तय करने के संबंध में जहां आरबीआई इस बात से सहमत है कि एमएसई को, प्राथमिक क्षेत्र में भी विशेष बल दिया जाना चाहिए वहीं आरबीआई का यह मत है कि इस क्षेत्र को एएनबीसी के 12%से 15% पर क्रेडिट आबंटित करने से प्राथमिक क्षेत्र के भीतर हाउसिंग और एजुकेशनल क्षेत्र के ऋणों की भरमार हो जाएगी।
4. बैंकों की स्टैंप ड्यूटी की दर अत्यधिक है तथा ऋणों पर उनकी ब्याज दरें भी बहुत ऊंची हैं तथा प्रोसेसिंग तथा अन्य प्रभार हटा दिए जाने चाहिए। **(पैरा सं. 25)**	आरबीआई ने स्टैंप ड्यूटी (जिसे राज्य सरकारें तय करती/लगाती है) की ऊंची दरों के विषय पर विशिष्ट रूप से टिप्पणी नहीं की है। यद्यपि ब्याज दरों के बारे में यह सूचित किया गया है कि 2 लाख रू. तक के सभी ऋणों पर बैंक की प्राथमिक लेंडिंग दर से अधिक ब्याज नहीं लगाया जाता है। बैंक 2 लाख से अधिक के ऋणों की ब्याज संबंधी दरें तय करने के लिए मुक्त हैं। प्रोसेसिंग तथा अन्य प्रभारों के अधित्याग के संबंध में आरबीआई ने दिनांक 1 जुलाई, 2009 के प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों पर मास्टर परिपत्र जारी करके बैंकों के यह निर्देश जारी किए है कि 25,000/- रू. तक के ऋणों पर कोई सेवा प्रभार नहीं लगाया जाएगा। 25,000/- रू. से अधिक के ऋणों के लिए बैंक पहले अपने बोर्डों से अनुमोदन लेकर सेवा प्रभार तय करने के लिए मुक्त हैं।
5. 10 लाख रूपये से कम के ऋणों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करना, एमएसई ऋणों पर बड़ी इकाइयों की तुलना में अधिक ब्याज दर, ऋण गारंटी योजना में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले समर्थन की कमी जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश सूक्ष्म उद्यम ऋण की अनुलब्धता का सामना कर रहे हैं, आदि। **(पैरा सं. 28)**	जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट दी है 5 लाख रू. तक तथा 5 लाख रू. से लेकर 25 लाख रू. तक के ऋणों का ब्योरा पहले से ही उपलब्ध है। आंकड़ों में और अधिक वृद्धि करने से बगैर किसी उचित अनुपात में मूल्यवर्धन के न केवल कार्य बढ़ेगा बल्कि सॉफ्टवेयर में भी संशोधन करना आवश्यक होगा ब्याज की दरों के विषय के संबंध में उपरोक्त बिन्दु संख्या 4 देखी जा सकती है। नवम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार क्रेडिट गारंटी

	योजना (सीजीएस) के तहत 8,328.89 करोड़ रू. की कुल संस्वीकृत ऋण राशि के लिए गारंटी कवर हेतु कुल 2,27,457 प्रस्तावों का अनुमोदन दिया गया है। 1 अप्रैल से 30 नवम्बर, 2009 के दौरान 3,589.86 करोड़ रू. के लिए 78,266 प्रस्तावों को शामिल किया गया है जो पिछले वर्ष की उल्लिखित अवधि में क्रमश: लगभग 199 प्रतिशत एवं 238 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 2,250 करोड़ रू. के लिए 1,00,000 प्रस्तावों का लक्ष्य निश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त योजना में विभिन्न संशोधन किए गए हैं जिनमें योजना के तहत कवर किए जाने के लिए समपार्श्विकता मुक्त ऋणों की सीमा को 50 लाख रू. से अधिक तथा 100 लाख रू. तक की क्रेडिट सुविधा के 50 प्रतिशत की इन्क्रीमेंटल गारंटी के साथ 50 लाख रू. से बढ़ाकर 1 करोड़ रू. तक बढ़ाना, 5 लाख रू. तक के ऋणों के गारंटी कवर में 85 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी, आदि शामिल हैं।
6. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए एक राष्ट्रीय ऋण निधि होनी चाहिए और अपने लक्ष्य पूरा न कर पाने वाले बैंकों को 10 वर्षों तक नि:शुल्क इस निधि के लक्ष्यों में गिरावट के समतुल्य राशि इस निधि में जमा करनी चाहिए। उन बैंकों को 10 वर्षों तक नि:शुल्क संवितरित अधिक राशि के समतुल्य इस राष्ट्रीय निधि से ऋण प्राप्त करने चाहिए जो सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को ऋण संवितरित करने में अपने लक्ष्य पूरा कर रहे हैं। **(पैरा सं. 29)**	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र लेंडिंग के तहत उपरोक्त बिन्दु (3) पर दिए गए कारणों के चलते घरेलू बैंकों के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं हैं। तथापि विदेशी बैंक जो प्राथमिक क्षेत्र के नियत लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों को पूरा नहीं करते हैं उनके लिए सिडबी को अंशदान देना अपेक्षित है। संघ बजट 2008-09 में की गई घोषणा के अनुसार सिडबी में दो फंड गठित किए गए हैं अर्थात सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (पुनर्वित्तयन) निधि तथा एमएसएमई (जोखिम पूंजी) निधि। ये निधियां उन घरेलू बैंकों जो मार्च, 2008 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र और/अथवा कृषि क्षेत्र लेंडिंगमें अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए थे, के अंशदान से गठित किए गए हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (पुनर्वित्तयन) निधि के लिए 1,600 करोड़ रू. तथा एमएसएमई (जोखिम पूंजी) निधि के लिए 1000 करोड़ रू. का आबंटन किया गया था। इसके अलावा रोजगार गहन सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में वृद्धि सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सिडबी द्वारा रखे जाने वाली एमएसएमई (पुनर्वित्तयन) निधि के कॉरपस को 2000 करोड़ रूपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह भी

	निर्णय किया गया था कि कॉरपस के बढ़े हुए भाग की पूर्ति कमजोर वर्गों की श्रेणी संबंधी उपलक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने वाले घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अंशदान से प्रो रैटा आधार पर की जाएगी। उपरोक्त आबंटन मार्च, 2009 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कमजोर वर्गों के श्रेणी संबंधी लेंडिंग के उप-लक्ष्य प्राप्त करने में होने वाली अनुमानित गिरावट के बदले अग्रिम रूप से किए जाएंगे। इसके अलावा आरबीआई ने दिसम्बर, 2008 में सिडबी को 7,000 करोड़ रू. की पुनर्वित्तयन सुविधा उपलब्ध कराई है।
7. एमएसई से समपार्श्विक प्रतिभूति की मांग न करना, बैंक द्वारा ऋण गारंटी का शुल्क वहन करना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ब्याज दर कृषि ऋणों के समान, फैक्टोरिंग प्रणाली का प्रभावी तंत्र, बैंक द्वारा एसएआरएफएई एसआई के तहत कार्रवाई का आश्रय लेना और डीआरटी के तहत समझौता करने से बचना, आदि। **(पैरा सं. 29)**	जैसा कि आरबीआई ने सूचित किया है कि एमएसई लेनदारों को समपार्श्विकता मुक्त ऋणों के संदर्भ में विस्तृत दिशानिर्देशों के संबंध में बैंकों को समपार्श्विक प्रतिभूति का दबाव न डालते हुए ऋणों को 5 लाख रू. बढ़ाने की सलाह देते हुए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त उन्हें यह सलाह भी दी गई थी कि यदि वे लेनदार के ट्रैक रिकार्ड तथा वित्तीय स्थिति से संतुष्ट हों तो वे 25 लाख रू. तक के ऋणों के लिए समपार्श्विक अपेक्षाओं को हटाने की सीमा को बढ़ाने पर भी (समुचित प्राधिकरण के अनुमोदन से) विचार कर सकते हैं। हम इन दिशानिर्देशों को दुहराते रहे हैं। विभिन्न क्वार्टरों से अभ्यावेदन प्राप्त होने को देखते हुए हमने पुनः हाल ही में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पुनः यह बताते हुए कि बैंक, एमएसई क्षेत्र (विनिर्माणरत एवं सेवा उद्यम दोनों) के सभी नए ऋणों के संबंध में 5 लाख रू. तक समपार्श्विकता मुक्त ऋणों का विस्तार कर सकते हैं, एक परिपत्र (आरपीसीडी.एसएमईएण्डएनएफएस. बी.सी.सं. 84(ए)/02.06.31(पी)/2008-09 दिनांक जनवरी 20, 2009) जारी किया है। एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, के प्रावधानों का क्रेडिट कल्चर पर शानदार प्रभाव पड़ा है और बैंकों के पास क्रेडिट बढ़ाने के लिए मौजूद एक आवश्यक पहल के रूप में इसे बरकरार रखा जा सकता है। सीजीटीएमएसई ने सूचित किया है कि सरकार द्वारा 10 अगस्त, 2005 को घोषित "लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्रेडिट को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत पैकेज" के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 0.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की अधिकता की स्थिति में वार्षिक

	सेवा शुल्क (एएसएफ) वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। बहुत से मेंबर लेंडिंग संस्थान (एमएलआई) गारंटी शुल्क एवं एएसएफ वहन कर रहे हैं अथवा उन्हें लाभार्थियों के साथ बाँट रहे हैं। सीजीएस के संबंध में यह निर्णय कि वे जीएफ/एएसएफ को एमएसई को पास कर दें अथवा स्वयं वहन करें, एमएलआई के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाता है।
8. एमएसएमई के समक्ष आने वाली निर्यात ऋण में कठिनाई तथा निर्यात ऋण संबंधी व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। **(पैरा सं. 30)**	जैसा कि आरबीआई ने सूचित किया है निर्यात ऋण संबंधी कठिनाईयों को सरल करने के लिए आरबीआई द्वारा कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि प्री और पोस्ट शिपमेंट अवधि को बढ़ाना, आरबीआई से पुनर्वित्तयन सीमा में बढ़ोतरी, एक्ज़िम बैंकों को 5,000 करोड़ रू. तक का विशेष पुनर्वित्तीयन, आदि। इसके अलावा सरकार ने एमएसएमई सहित कुछ रोजगारोन्मुखी निर्यात क्षेत्रों के लिए प्री और पोस्ट शिपमेंट रूपए निर्यात ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज कटौती उपलब्ध कराई गई है।
9. पूर्वोत्तर संबंधी ऊषा थोराट रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को अनिवार्य बना देना चाहिए ताकि उद्यमियों को इससे लाभ उठाने में सहायता मिल सके। इसके अलावा देश भर में कार्यक्षम पूंजीगत ऋणों में एकरूपता होनी चाहिए और बैंकों को प्राकृतिक आपदाओं को भी उचित मान्यता प्रदान करनी चाहिए। **(पैरा सं. 32)**	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार श्रीमती ऊषा थोराट डिप्टी गनव्रर आरबीआई पूर्वोत्तर क्षेत्र की अध्यक्षता वाली समति द्वारा की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन एवं निगरानी एसएलबीसी और रिजर्व बैंक द्वारा की जा रही है। कार्यशील पूंजी संबंधी निर्देशों के संबंध में बैंकों द्वारा एमएसई के लिए कार्यशील पूंजी क्रेडिट सीमाएं उपलब्ध कराने हेतु सामान्य दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है, जिसमें उनके अनुमानित वार्षिक टर्नओवर के न्यूनतम 20 प्रतिशत के आधार पर गणना की जाती है। यह मानक जो 2 करोड़ रू. तक की क्रेडिट सीमाओं वाली इकाइयों पर लागू था, तबसे यह मानक बढ़ाकर 5 करोड़ रू. तक कर दिया गया है (दिनांक 1 जुलाई, 2009 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संबंधी प्रधान परिपत्र)। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत के विषय पर पहले से ही निर्देश दे दिए गए हैं जिन्हें दिनांक 1 जुलाई, 2009 के आरबीआई प्रधान परिपत्र आरबीआई/2009-20010/36 के द्वारा संगठित कर दिया गया है।

10. चूंकि विलम्बित भुगतान एमएसएमई पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं फैक्टोरिंग कम्पनियों द्वारा "बिना रिकोर्स के फैक्टोरिंग" को बढ़ावा देना चाहिए। एनपीए के लिए मानदंडों को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करके संशोधित किया जाना चाहिए और समपार्श्विकता संबंधी जरूरतों की समीक्षा की जानी चाहिए **(पैरा सं.34)**।	आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फैक्टोरिंग व्यवसाय बैंकों की सब्सिडेयरियों द्वारा संचालित किया जाता है, जो गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान हैं।आरबीआई ने कम्पनियों के फैक्टोरिंग व्यवसाय के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत तथा फैक्टोरिंग व्यवसाय चला रहे एनबीएफसी को अलग वर्ग में नहीं रखा जाता है अपितु इन्हें ऋण कम्पनियों के तौर पर देखा जाता है और वे इस संबंध में एनबीएफसी पर लागू विनियमनों का अनुपालन करने को बाध्य हैं। इसके अलावा "बगैर रिकोर्स फैक्टोरिंग" का यह निहितार्थ है कि फैक्टोरिंग कम्पनियां आयात कारक से ऋण का भुगतान न हो पाने की स्थिति में वाणिज्यिक विवादों के अतिरिक्त अन्य मामलों में बकायों की रिकवरी के लिए निर्यातक के पास वापस जाने योग्य नहीं होंगी। आरबीआई को "बिना रिकोर्स" आधार पर निर्यात फैक्टोरिंग उपलब्ध कराने पर कोई आपत्ति नहीं है। एनपीए में रियायत के संबंध में स्थिति निम्नोक्त है:- - आय रिकॉगनिशन, ऐसेट वर्गीकरण तथा प्रोविजनिंग मानदंडों संबंध दिशानिर्देशों को एमएसई क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में एकरूपता से लागू किया जाता है। क्रेडिट बाजार को प्रतिकूल बनाने तथा क्रेडिट डिसिप्लिन को कमजोर करने की इनकी सामर्थ्य को देखते हुए क्षेत्र विशिष्ट दिशानिर्देशों की सलाह नहीं दी जाती। ऐसे अनुरोधों को स्वीकारने तथा दिशानिर्देशों में रियारत देने से अन्य क्षेत्र भी इसी प्रकार की मांग करेंगे। - 90 दिनों की अपचार मानक अवधि का निर्णय विवेकाधीन विनयमों को बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार्यों तथा मानकों के अनुरूप बनाने के हमारे प्रयासों को दीर्घ मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद लिया गया है। - बैंकों से लेनदारों के साथ कैश फ्लो के आधार पर वास्तविक पुनर्भुगतान क्रम तय करने का अनुरोध किया गया है। - अगस्त 27, 2008 के पुनर्गठन दिशानिर्देश सभी सेवा संबंधी क्षेत्रों के लिए पुनर्गठन संबंधी मामलों के लिए विशेष नियामक प्रणाली का विस्तार करते हैं। जनवरी,

	2009 में भी आरबीआई ने सितम्बर 01, 2008 की स्थिति के अनुसार सभी मानक लेखों के लिए एसेट वर्गीकरण को जारी रखने की अनुमति दी थी बशर्ते कि जनवरी 31 तक पुनर्गठन आरंभ किया जाए और 120 दिनों के भीतर उसके समाप्त हो जाए। -
11. एमएसई के लिए निधियों की लागत प्रतिस्पर्धात्मक होनी चाहिए जो उद्यमियों की ऋण योग्यता पर निर्भर करता है। हाल ही में रेपो दर में कटौती की तर्ज पर आरबीआई द्वारा एमएसएमई के लिए ब्याज दरों में कटौती। **(पैरा सं. 34)**	टिप्पणियां उपरोक्त बिन्दु सं. 4 पर प्रस्तुत की गई हैं।
सिडबी से संबंधित बिन्दु	
1. जम्मू और कशमीर राज्य में सावधि लेंडिंग संस्थान रूग्ण हो गए हैं और सिडबी को 56 करोड़ रू. का पूर्ण अधित्याग करना चाहिए ताकि जेकेएसएफसी को पुनर्जीवित किया जा सके। **(पैरा सं. 10)**	सिडबी ने सूचित किया है कि सिडबी द्वारा दिए गए कई पुनर्गठन पैकेजों तथा वित्तवर्ष 2006 तक पुनर्वित्तयन के द्वारा जेकेएसएफसी को समर्थन देना जारी रखे जाने के बावजूद भी यह अपनी वित्तीय समस्याओं से नहीं निकल पाया है और यह लगातार सिडबी का चूककर्ता बना हुआ है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने स्वयं सिडबी के साथ एक-बारगी निपटान करने का निर्णय लिया है और तद्नुसार सिडबी ने एक-बारगी निपटन प्रस्तुत किया है जिस पर वे विचार कर रहे हैं।
2. उत्तर प्रदेश राज्य में सावधि लेंडिंग संस्थान, अर्थात यूपीएफसी समुचित रूप से कार्य नहीं कर पा रहा हैं जो गंभीर चिन्ता का विषय है। **(पैरा सं. 11)**	सिडबी ने सूचित किया है कि यूपीएफसी की समस्याएं ऋणों की गुणवत्ता तथा अग्रिम पोर्टफोलियो की अक्षमता के कारण गहन हुई हैं। निगम की वित्तीय स्थिति पिछले वर्षों में लगातार खराब होती जा रही है। सिडबी द्वारा अनुमोदित कई पुनर्गठन पैकेजों तथा साथ ही साथ यूपीएफसी को पुनर्वित्तयन के द्वारा निरन्तर समर्थन देते रहने के बावजूद निगम अपने प्रचालन में आवश्यक सुधार नहीं कर पा रहा है। अब राज्य सरकार ने ओटीएस के माध्यम से सिडबी के बकायों के निपटान के लिए यूपीएफसी को समर्थन देने का संकेत दिया है। इसलिए सिडबी निगम के साथ एक ओटीएस पैकेज तैयार कर रहा है।

3. सिडबी के बोर्ड में सभी छह गैर-अधिकारी सदस्य पूर्व-बैंकर हैं। ऐसा ही अन्य बैंकों के मामले में भी है और उनके बोर्ड में एमएसएमई को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। **(पैरा सं. 14)**	सिडबी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के संबंध में बोर्ड में मौजूदा बोर्ड के 12 निदेशकों में से 6 भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा एक पूरे समय के निदेशक (उपप्रबंध निदेशक के रूप में पदनामित) की नियुक्ति के अलावा अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय तथा संयुक्त सचिव, वित्त सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय को भी सिडबी अधिनियम की धारा 6 (1)(सी) के तहत निदेशकों के रूप में नामित किया गया है। भारत सरकार ने श्री एस.एस. चट्टोपाध्याय, अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल वित्त निगम तथा श्री ए.प्रभाकरा, एमएसएमई उद्यमी तथा बंगलौर में लघु उद्योग संघ के पूर्व अध्यक्ष, जो कर्नाटक लघु उद्योग संघ के एक सदस्य है, को भी सिडबी अधिनियम की धारा 6(1)(ई) के तहत नियुक्त किया है। इसके अलावा सिडबी अधिनियम की धारा 6(1)(डी) के तहत तीन बड़े शेयरधारियों अर्थात आई डी वी आई, एसबीआई और एलआईसी द्वारा 3 निदेशकों को नामित किया गया है। सिडबी अधिनियम की धारा 6(1)(एफ) के संबंध में बोर्ड किसी भी समय विशेष ज्ञान अथवा पेशेवराना अनुभव युक्त व्यक्तियों को जो बोर्ड के मत में बैंकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके, के बीच में से ऐसे कई निदेशक, चार से अधिक नहीं, अपना सकता है, जो चयनित निदेशकों द्वारा प्रभार ग्रहण करने तक कार्यालय संभालेगा। तद्नुसार बोर्ड ने तीन निदेशक लिए हैं जिनमें सं एक निदेशक, अर्थात, श्री एस.के.टुटेजा, पूर्व सचिव एवं विकास आयुक्त (एसएसआई), भारत सरकार को एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित विषयों में उनके अपार ज्ञान एवं अनुभव पर विचार करते हुए लिया गया है। इस प्रकार केवल दो पूर्व-बैंकर अर्थात् श्री जानकीवल्लभ, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष, तथा श्री बालाचन्द्रन, बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दोनों ही प्रसिद्ध हैं एवं विशिष्ट बैंकर हैं तथा इन्हें बोर्ड द्वारा एमएसएमई क्षेत्र की पुनर्वित्तयन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए उचित कार्यनीतियां तैयार करने तथा क्रेडिट वितरण के नवीनतम साधन तैयार करने के उद्देश्य से सिडबी को दिशा देने के लिए लिया गया है।

4. सिडबी में 2000 करोड़ रूपये प्रत्येक की जो दो निधियां सृजित की गई थीं उन्हें तत्काल एमएसएमई को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इन निधियों की परिमात्रा में कमी का भी उल्लेख किया गया था। **(पैरा सं. 34)**	सिडबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आरबीआई ने पहले से ही एमएसएमई (पुनर्वित्तयन) निधि के लिए 3,600 करोड़ रू. और एमएसएमई (जोखिम पूंजी) निधि के लिए 1,000 करोड़ रू. आबंटित किए हैं।
विलंबित भुगतान से संबंधित बिन्दु	
1. अधिकांश सूक्ष्म उद्यम ऋण की अनुपलब्धता का सामना कर रहे हैं तथा बड़ी इकाइयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विलम्बित भुगतान अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है जिस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। **(पैरा सं. 28)**	अक्तूबर, 2006 से पहले " लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज अधिनियम, 1993" (संशोधन 1998) मौजूद था जोकि विलंबित भुगतान संबंधी मामलें देखता था। तथापि यह अनुभव किया गया कि यह अधिनियम विलंबित भुगतान की समस्याओं से प्रभावी रूप से निपटने के साधन से युक्त नहीं था। इसलिए इस अधिनियम को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के साथ समाविष्ट कर लिया गया जिसमें अन्य के साथ निम्नोक्त महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं- • क्रेताओं से एमएसई को भुगतान करने की अवधि को 45 दिनों तक घटा दिया गया है। • बकाया राशि पर ब्याज की दर को भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान बैंक दर से तीन गुना बढ़ा दिया गया है जिसे मासिक आधार पर जोड़ा जाता रहेगा। • राज्य सरकारों के लिए एमएसई सुविधा परिषद् गठन करना अनिवार्य बना दिया गया है। • सुविधा परिषद् में एमएसई संघों के एक अथवा अधिक प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान। जहां भी क्रेता स्थित हो, वह राज्य की परिषद् के न्यायाधिकार के क्षेत्र में कवर किया जाएगा।

एमएसई-सीडीपी से संबंधित बिन्दु	
1.असम राज्य में केवल तीन क्लस्टर हैं और सुझाव दिया गया हैकि सरकार को और अधिक क्लस्टर विकसित करने चाहिए क्योंकि यह क्लस्टर रोजगार सृजित करने में काफी कारगर सिद्ध हो रहे हैं। **(पैरा सं.24)**	अब तक, असम राज्य में सात क्लस्टर एमएसई-सीडीपी के तहत इंटरवेंशनों के लिए शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय को अनेक क्लस्टरों में इंटरवेंशन शुरू करने के लिए राज्य सरकार, आईआईई, गुवाहाटी तथा एमएसएमई-डीआई, गुवाहाटी से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एमएसई-सीडीपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई शुरू करने हेतु इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है। ब्रास एवं मैटल हस्तशिल्प क्लस्टर, हाजो, गुवाहाटी, असम के लिए एक मॉडल सामान्य सुविधा केन्द्र (एमसीएफसी) को भी अनुमोदन प्रदान किया गया था (इन क्लस्टरों में साफ्ट इंटरवेंशन 160.61 लाख रूपये की संशोधित संभावित लागत पर पहले ही पूर्ण किए गए थे) इसमें 100.00 लाख रूपयों की भारत सरकार की सहायता तथा एमएसई-सीडीपी के तहत 60.61 लाख रूपये का असम सरकार/एसपीवी का अंशदान शामिल है। उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक (डी आई एवं सी), असम सरकार एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे और इसके दैनन्दिन कार्यकरण की मानीटरिंग बृहत्तर हाजो प्रगतिशील कारीगर संस्था, हाजो, जिला कामरूप, असम (एसपीवी) द्वारा की जाएगी। इस कार्यालय में 24 मार्च, 2008 को परियोजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया। पहली किश्त के रूप में सितम्बर, 2009 में लगभग 81.66 लाख रूपये की निधियां जारी की गई हैं।
2. जोरहाट में एक सामान्य सुविधा केन्द्र खोलना **(पैरा सं. 24)**	एमएसएमई-डीआई, गुवाहाटी का एक विस्तार केन्द्र जोरहाट में विद्यमान था। सरकार की नीतियों के कारण सभी विस्तार केन्द्र 1990 के दौरान बंद कर दिए गए थे और जोरहाट स्थित विस्तार केन्द्र भी बंद कर दिया गया था।
पीएमईजीपी से संबंधित मुद्दे	
ग्रामीण युवाओं के लिए सभी योजनाओं/ कार्यक्रमों से संबंधित पैम्फलेट/साहित्य तैयार	केवीआईसी ने सभी संबंधियों को वितरित करने हेतु पीएमईजीपी, स्फूर्ति, आदि से संबंधित मुद्रित सूचना

किए जाने चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने हेतु सभी ग्राम प्रधानों को वितरित किए जाने चाहिए। **(पैरा सं.16)**	पैम्फलेट तथा ब्रोशर पहले ही प्रकाशित किए हैं।
2. पीएमईजीपी के तहत प्रशिक्षण केन्द्रों के केवीआईसी के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा के कारण लाभग्राहियों के प्रशिक्षण में संभावित विलम्ब **(पैरा सं. 17)**	केवीआईसी ने सूचित किया है कि 26-09-2008 को पीएमईजीपी योजना के अनुमोदन की प्राप्ति के बाद सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध निदेशकों; आरबीआई के उप-गर्वनर; देश में सभी जिला कलेक्टरों, केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारियों के साथ-साथ प्रशिक्षण केन्द्रों के चयन/प्रत्यापन के संबंध में पत्र जारी किए गए हैं। प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची को चिन्हित करने एवं भेजने के लिए प्रधान सचिव, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उद्योग को पत्र भेजा गया था। देशभर का ब्योरा प्राप्त होने पर 569 प्रशिक्षण केन्द्रों की एक सूची संकलित की गई थी तथा सभी संबंधितों के सूचनार्थ वेबसाईट पर स्थापित किया गया था। अत: ईडीपी प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रत्यापन में कोई विलम्ब नहीं हुआ।
3.वाणिज्यिक बैंक लघु उद्यमियों को ऋण देने हेतु आरबीआई के मानदण्डों का पालन नहीं करते। **(पैरा 11 व 18)**	केवीआईसी ने सूचित किया है कि अधिकतम 5 लाख रूपये की परियोजनाओं के लिए बिना सम्पार्श्विक प्रतिभूति के बैंक से ऋण प्राप्त करने के संबंध में आरबीआई के दिशा-निर्देश सभी संबंधितों को व्यापक रूप से परिचालित किए गए हैं और अब तक सम्पार्श्विक प्रतिभूति के अभाव में ऋण की गैर-संस्वीकृति के लिए कोई विशिष्ट उदाहरण की जानकारी नहीं है। अधिकतम 5 लाख रूपये की परियोजना के लिए उद्यमियों को सम्पार्श्विक मुक्त ऋण देने का मामला आरबीआई के साथ उठाया गया था जिस पर आरबीआई ने स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसे सम्पार्श्विक मुक्त ऋण देने का दायित्व सलाह सम्मत नहीं है परन्तु सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर अनिवार्य है।
4. इस योजना का सभी प्रकार के मीडिया की सहायता से उचित रूप से प्रचार किया जाना चाहिए ताकि यह अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। **(पैरा सं. 20)**	केवीआईसी ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पीएमईजीपी योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए भी स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए गए हैं। केवीआईसी/अन्य एजेंसियों द्वारा पीएमईजीपी की योजना को व्यापक रूप से प्रचारित

	करने के लिए कुल 45 कार्यशालाएं तथा 758 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए थे। सर्वसंबंधितों को इस बारे में बता दिया गया था।
5. स्थानीय एसएमई संघ को भी पीएमईजीपी के तहत लाभग्राहियों के प्रशिक्षण से संबद्ध किया जा सकता है। **(पैरा सं. 20)**	केवीआईसी ने सूचित किया है कि आन्ध्रप्रदेश, केरल तथा गोवा एसएमई संघों से अनुरोध प्राप्त होने पर उनके प्रशिक्षण केन्द्रों को पहले ही इस उद्देश्यार्थ प्रत्यापित 569 प्रशिक्षण केन्द्रों में शामिल किया गया है। केवीआईसी ने आश्वासन दिया है कि अन्य स्थानीय एसएमई संघों से इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त होने पर उस पर भी विचार किया जाएगा।
6. वार्षिक आय पर अधिकतम सीमा की रियायत केवल गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के मामले में स्वीकार्य होनी चाहिए और यह कि यदि पात्रता मानदण्ड सामान्य होता है तो इस योजना का पीएमआरवाई की तुलना में वास्तविक लाभ प्राप्त करना संभव नहीं होगा क्योंकि पीएमआरवाई की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा थी। **(पैरा सं. 21)**	पीएमईजीपी को तत्कालीन दो क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीमों, अर्थात आरईजीपी तथा पीएमआरवाई एकीकृत करके तैयार किया गया है। आरईजीपी के तहत, वार्षिक आय अधिकतम सीमा के संबंध में कोई मानदण्ड नहीं था। इसके अलावा योजना तैयार करते समय ऐसे सभी पहलुओं पर उचिव ध्यान दिया गया है और इसलिए इस स्तर पर इस पहलु में पीएमईजीपी के दिशा-निर्देशों को परिवर्तित करना व्यवहार्य नहीं होगा।
7. पीएमईजीपी के तहत ऐसे बेरोजगार युवकों के लिए विशेष मामले पर विचार नहीं किया है जो तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त हैं अथवा उनमें प्रबंधकीय कौशल है। ऐसे उम्मीदवारों को परियोजनाओं के लिए स्थापना हेतु अधिक आबंटन की आवश्यकता होगी। उनके मामले में परियोजना लागत की सीमा 1 करोड़ रूपये तक बढ़ाई जानी चाहिए। **(पैरा सं. 28)**	पीएमईजीपी का उद्देश्य "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" में परिभाषित "सूक्ष्म उद्यमों" की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना है, अर्थात ऐसे उद्यम जो (i) उद्योगों (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग, जहां संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश पच्चीस लाख रूपये से अधिक नहीं है, से संबंधित वस्तुओं के निर्माण अथवा उत्पादन से संबद्ध है; (ii) वे जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जहां उपस्कर में निवेश दस लाख रूपये से अधिक नहीं है। अत: इस सुझाव पर सहमति नहीं हो सकती।

कार्यसूची मद संख्या 2
एमएसएमई के लिए ऋण संबंधी मामलों पर केन्द्रित प्रधानमंत्री के कार्य बल की रिपोर्ट पर चर्चा

भाग-1: रिपोर्ट का सिंहावलोकन

1. पृष्ठभूमि

1.1 19 विख्यात एमएसएमई संघों के प्रतिनिधियों ने एमएसएमई संबंधी अपनी चिंताओं तथा मामलों पर प्रकाश डालने के लिए 26 अगस्त, 2009 को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने संघों द्वारा उठाए गए मामलों पर प्रकाश डालने तथा सभी स्टेकहोल्डरों के साथ विचार-विमर्श के बाद तीन महीने की अवधि के भीतर कार्रवाई हेतु एक कार्यसूची तैयार करने के लिए एक कार्य बल गठित करने की घोषणा की। तदनुसार, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एमएसएमई क्षेत्र के मामलों पर बातचीत के लिए एक कार्य बल का गठन किया गया।

1.2 कार्य बल ने सामान्य मामलों को 6 प्रमख विषयपरक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया और विस्तृत जांच हेतु पृथक उप-वर्ग गठित किए। इन विषयपरक क्षेत्रों में शामिल थी (i) क्रेडिट, (ii) विपणन (iii) श्रम (iv) पुनर्वास तथा निकास नीति (v) अवस्थापना, प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास तथा (vi) कर-निर्धारण । पूर्वोत्तर तथा जम्मू एवं कश्मीर में एमएसएमई के विकास पर ध्यान देने हेतु एक पृथक उप-वर्ग भी गठित किया गया था। प्रत्येक उप-वर्ग ने अनेक बैठकों के दौरान विशिष्ट मामलों की जांच की और एमएसएमई संघों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद अपनी रिपोर्टें कार्य बल को प्रस्तुत की। कार्य बल तथा इसके उप- वर्गों द्वारा पिछली समितियों, कार्यकारी दलों तथा अध्ययन वर्गों की सिफारिशों, जो वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक हैं, पर विचारार्थ ध्यान दिया गया है।

2. एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मामले

2.1 कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि यद्यपि भारतीय एमएसएमई एक विविधतापूर्ण संविषम वर्ग है, वे कुछ सामान्य समस्याओं का सामना करते हैं जो निम्नवत हैं:-

- पर्याप्त तथा समय पर क्रेडिट की उपलब्धता में कमी;
- उच्च क्रेडिट लागत;
- संपार्श्विक अपेक्षाएं;
- इक्विटी पूंजी की सीमित उपलब्धता;

- सरकारी विभागों तथा एजेंसियों को आपूर्त्ति में समस्याएं;
- प्रतिस्पर्धात्मक लागत पर कच्चे माल का प्रापण;
- भण्डारण, डिजाईनिंग, पैकेजिंग तथा उत्पाद प्रदर्शन की समस्याएं;
- वैश्विक बाजारों तक पहुंच की कमी
- विद्युत, जल, सड़कों आदि सहित अपर्याप्त अवस्थापना सुविधाएं;
- निम्न प्रौद्योगिकी स्तर तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच की कमी;
- विनिर्माण, सेवाओं, विपणन आदि के लिए कौशलयुक्त मानवशक्ति की कमी;
- श्रम कानूनों की बहुलता तथा ऐसे कानूनों के पालन से संबद्ध जटिल पद्धतियां;
- उपयुक्त तंत्र का अभाव जो व्यवहार्य रूग्ण उद्यमों के शीघ्र पुनर्जीवन को सक्षम बनाता है तथा अव्यवहार्य इकाईयों को शीघ्रता से बंद करने के लिए अनुमति प्रदान करता है; और
- कर-निर्धारण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों,0 तथा तत्संबंधी पद्धतियों से संबंधित मामले।

3. <u>सिफारिशें</u>

3.1 एमएसएमई को राहत तथा स्थायित्व प्रदान करने के लिए कार्य बल ने निम्नलिखित उपायों के सुझाव दिए हैं:-

क. उपाय जिन पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है

i. प्रोत्साहन पैकेज के घटक जो एमएसएमई हेतु विशिष्ट है, को 31 मार्च, 2010 से आगे एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित करना।

ii. सूक्ष्म उद्यमों के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना (अर्थात सूक्ष्म क्षेत्र हेतु 60% आवंटन प्रदान करते हुए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए 20% वर्ष-दर-वर्ष विकास)।

iii. विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने हेतु वाणिज्यिक बैंकों के लिए एमएसई क्रेडिट लक्ष्यों के अनुरूप कमियों, यदि कोई हो; का उपयोग करते हुए सिडबी के पास एक पृथक निधि का सृजन।

iv. एमएसएमई के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद के वार्षिक भाग के कम से कम 20% का लक्ष्य, एक निर्धारित अवधि के दौरान पहुंचने हेतु सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक सार्वजनिक प्रापण नीति प्रारंभ करना और उन्हें वार्षिक रिपोर्टों में इस संबंध में अपनी उपलब्धियों की जानकारी देने हेतु आदेश देना।

v. विशेष रूप से सुरक्षा तथा विमानन क्षेत्रों में सरकार की आफसेट नीति में एमएसएमई को प्राथमिकता देना और सुरक्षा उत्पादन के सचिवों, एमएसएमई तथा नागर विमानन और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्र के उपक्रमों के सीईओ के साथ रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (आरयूआरएम) के अधीन एक स्थाई मार्गदर्शन तंत्र।

vi. मौजूदा अवस्थापना तथा संस्थागत व्यवस्था में विशेषरूप से कमियों को लक्षित करने हेतु अगले 3-5 वर्षों के दौरान लगभग 5,000-5,500 करोड़ रूपये के अतिरिक्त सार्वजनिक व्यय की अलग से व्यवस्था करना। इन निधियों का उपयोग इनके लिए किया जा सकता है- (क) संभावित रूप से व्यवहार्य रूग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए राज्यों में पुनर्वास निधियों की स्थापना को सहयोग देना, (ख) एमएसएमई को आधुनिक स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण तथा अनुकूलन के साथ साथ प्रौद्योगिकी बैंकों व उत्पाद-विशिष्ट प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों के सृजन में सहायता देना (ग) शैक्षिक संस्थाओं में व्यापार इनक्यूबेटरों की स्थापना का संवर्धन; (घ) मौजूदा औद्योगिक सम्पदाओं का नवीनीकरण तथा एमएसएमई क्षेत्र के लिए नवीन अवस्थापना विकसित करना; (ङ) जिला उद्योग केन्द्रों की री-इंजीनियरी, सुदृढ़ीकरण तथा पुनः सशक्तिकरण करना ताकि वे एमएसएमई के लिए तथा जैसा कि उपयुक्त हो, उनके पनुर्वास में समर्थन तथा क्षमता निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकें; (च) एमएसएमई को अधिक बाजार सहयोग के लिए एनएसआईसी के इक्विटी आधार को सुदृढ़ करना; तथा (छ) उद्यमिता तथा कौशल विकास के मौजूदा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना।

vii. एमएसएमई के असंगठित से संगठित क्षेत्र में अंतरण को प्रोत्साहित करने तथा इकाइयों के रूप में उनके कारपोरेटीकरण के लिए उपयुक्त विधिक एवं वित्तीय उपकरणों का उपयोग करते हुए संपूर्ण सक्षम वातावरण तैयार करना। इसके अतिरिक्त, नवीन एवं ज्ञान आधारित उद्यमों के लिए और अनुसंधान एवं विकास के लिए उच्चतर निवेश को प्रोत्साहित करना।

viii. वर्तमान में नए डाइरेक्ट टैक्स कोड एवं जीएसटी को लागू करने की प्रक्रिया को इन नीतिगत उद्देश्यों की विशिष्ट प्राप्ति, ग्रेडेड कार्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर, ऐंजेल व वेंचर कैपिटल फंड के लिए टैक्स पास व अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रोत्साहन, के द्वारा करनी चाहिए।

ख. मध्यावधि संस्थागत उपाय (एक वर्ष के भीतर अथवा उसके आसपास प्राप्त किए जाने वाले)

i. निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में औद्योगिक सम्पदाओं/सामान्य सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय एवं प्रबंधकीय सहयोग प्रदान करने, असंगठित क्षेत्र के लिए योजनाएं संचालित करने, प्रौद्योगिकी विकास (स्वच्छ प्रौद्योगिकी सहित) के संवर्धन, विपणन सहयोग प्रदान करने, तथा एमएसएमई के लिए प्रासंगिक सूचना के समेकन एवं प्रसार के लिए एमएसएमई के संवधर्न एवं विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निकाय का गठन।

ii. सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता वाले एक विशेषज्ञ दल इस पर प्रकाश डाल सकता है और इस संरचना पर उपयुक्त सिफारिशें कर सकता है और तीन महीने की समय सीमा में इस निकाय को आदेश दे सकता है और इन्हें प्रधान मंत्री को प्रस्तुत कर सकता है।

iii. एमएसएमई क्षेत्र को क्रेडिट के प्रवाह की मानीटरिंग के लिए और सूक्ष्म उद्यमों तथा असंगठित क्षेत्र को इसके आवंटन के लिए सदस्य (योजना आयोग) के अधीन एक स्थाई समीक्षा समिति का गठन।

iv. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को स्व-सहायता वर्गों को गठित करने तथा उपयुक्त दरों पर बैंकरहित/चिन्हित अपवर्जित ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों को वित्तपोषित करने हेतु प्रोत्साहित करना। इसके अतिरिक्त, बैंकों को गैर-संस्थागत स्त्रोतों/ऋणदाताओं से एमएसई द्वारा लिए गए ऋणों को पुन:वित्तपोषित करने हेतु योजनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को सूक्ष्म उद्यमों की सेवार्थ बैंकों के लिए व्यापार समाचारदाताओं तथा व्यापार सुविधा कारकों के रूप में कार्य करने के लिए कर राहतों सहित उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान करना।

v. आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी युक्त संचार सुविधाओं तथा इन संस्थाओं में उपलब्ध मानव संसाधनों के पुन: प्रशिक्षण की व्यवस्था सहित जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) को सुदृढ़ करना। इसके अतिरिक्त संभावित एवं मौजूदा उद्यमियों के लिए समर्थन तथा क्षमता निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सुद्ढ़, पुन: सशक्तिकरण तथा रूपान्तरित करना।

vi. राज्यों को पुनर्वास निधियां गठित करने तथा उन इकाइयों के पुनर्वास जो उनके नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण अस्थाई रूप से प्रदत्त रूग्ण हैं, के लिए उपयुक्त योजनाएं संचालित करने के लिए सहयोग देना। इसके अलावा, राज्य सरकारें डीआईसी में जिला स्तर पर एक तंत्र स्थापित करेंगी जो बैंकों के साथ समन्वय करके रूग्ण इकाइयों की व्यवहार्यता की जांच करेगी और एक समयबद्ध ढंग से पुनर्वास पैकेजों को कार्यान्वित करेगी।

vii. औद्योगिक सम्पदाओं, जो इस समय क्षरण तथा उपेक्षा की स्थिति में हैं, को पूंजी द्वारा औद्योगिक कस्बों के रूप में उन्नयन करना।

viii. एमएसई को प्रगतिशील ढंग से आयोजित करने की नीति के अनुरूप योजनाबद्ध विकास तथा प्रोन्नयन की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एमएसई के लिए नवीन क्लस्टरों का सृजन। इसके अलावा, एमएसएमई क्षेत्र में नवीन अवस्थापना के विकास को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा व्यवहार्य अंतर का निधियन करना।

ix. प्राथमिकतापूर्ण प्रापण तथा पूर्व उल्लिखित अनेक विनिर्धारणों के अतिरिक्त एमएसएमई उद्यमों की मांग को प्रमुखता प्रदान करने के लिए एनएसआईसी के इक्विटी आधार को सुदृढ़ करना।

x. विशेषरूप से राष्ट्रीय पर्यावरण परिवर्तन कार्रवाई योजना (एनएपीसीसी) के संदर्भ में एमएसएमई के विकास से संबद्ध विभिन्न मंत्रालयों की स्वच्छ प्रौद्योगिकी पहलों को सहयोग देने के लिए उपर्युक्त क (vi) में प्रस्तावित वृहदोत्तर निवेश पैकेज के अंतर्गत लगभग 1500 करोड़ रूपये की निधियां सीमांकित करना। इसके अतिरिक्त, मौजूदा योजनाओं को सुदृढ़ करके अथवा आधुनिक स्वच्छ

प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण, अनुकूलन तथा नवीनीकरण और प्रौद्योगिकी बैंक/उत्पाद-विशिष्ट प्रौद्योगिकी केन्द्रों को उन्हें मूल्यपरक श्रृंखला आगे बढ़ाने हेतु सृजन में मौजूदा एमएसएमई को सहायता देने की नवीन योजनाएं तैयार करके इस राशि को उपयोग में लाना।

xi. क (vi) में निर्धारित संपूर्ण पैकेज के अंतर्गत 1000 करोड़ रूपये रखकर विख्यात शैक्षिक संस्थाओं में व्यापार इनक्यूबेटरों की संकल्पना को प्रोत्साहित करना।

ग. विधिक एवं विनियामक संरचनाएं (1-3 वर्षों में शुरू की जाने वाली)

i. एसएमई केन्द्र की स्थापना में तेजी लाना जो पहले ही विचाराधीन है।

ii. ट्रेड क्रेडिट रिसीवेबल के सुरक्षाकरण के लिए और फैक्टरिंग सर्विसेज के संवर्धन के लिए कार्यपरक विधिक विकल्प तैयार करना।

iii. सीमित दायित्व भागीदारी तथा एकल व्यक्ति कम्पनियों जैसे नवीन स्वरूपों को व्यापक रूप से प्रचारित करना जो एमएसएमई को अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था में जाने हेतु अंतरिक समाधान प्रदान करते हैं।

iv. विश्व बाजार की वास्तविकता की पहचान जहां उद्यम लगातार सृजित एवं विनष्ट होते हैं, में इनसाल्बेन्सी विधान की व्यापाक रूप से समीक्षा करना।

v. श्रम कानूनों, विशेषरूप से जो एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों पर लागू हैं, का सरलीकरण यद्यपि इस संबंध में श्रम मंत्रालय द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, 40 श्रमिकों वाले एमएसई के लिए एक एकल एवं व्यापक विधान तैयार किया जा सकता है। साथ ही, एमएसएमई के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के विशाल परिमाप को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए श्रम संबंधी मामलों पर अन्य बातों के साथ-साथ हाल ही में प्रख्यापित असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के प्रयोग से विधान के बजाय कल्याण पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

घ. पूर्वोत्तर राज्य तथा जम्मू व कश्मीर

यद्यपि सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू व कश्मीर के लिए विशेष पैकेज तथा नीतियां शुरू की हैं, तथापि इनके उपयोग में अन्तरा-राज्य तथा अन्तरा-क्षेत्रीय विषमताएं रही हैं जिन पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त निम्नवत आवश्यकता है:-

i एमएसएमई को अपने विस्तार के लिए सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए कैपिटल सब्सिडी योजना में कुछ संशोधन किए जाने चाहिए।

ii बजटीय प्रावधान, जो इन योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी दावों को पूरा करने के लिए कथित रूप से अपर्याप्त थे, को अनुपूरित किया जा सकता है ताकि 31.3.09 तक एमएसई के लिए सभी लंबित दावों को निपटाया जा सके।

iii जम्मू व कश्मीर सरकार मांग करती रही है कि राज्य में एमएसएमई के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों को पूर्वोत्तर क्षेत्र के संशोधित एनईआईआईपीपी के समान किया जाए। इस मांग का औचित्य नजर आता है। जम्मू व कश्मीर का पैकेज बढ़ाया जा सकता है और उसे एमएसएमई के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के संशोधित एनईआईआईपीपी के समकक्ष किया जा सकता है।

iv समग्र निधि के भीतर 100 करोड़ रुपये की एक निधि जम्मू व कश्मीर में रुग्ण इकाइयों की पहचान के लिए आसान शर्तों पर एक विशेष पुनर्वास पैकेज कार्यान्वित करने के लिए उद्दिष्ट की जा सकती है।

कार्य दल ने प्रधान मंत्री कार्यालय में सूक्ष्म व लघु उद्यमों पर प्रधान मंत्री परिषद् की स्थापना की सिफारिश की है जो अर्द्धवार्षिक आधार पर इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकती है। एमएसएमई मंत्रालय इसमें परिषद् का सहयोग करेगा।

भाग II: ऋण संबंधी सिफारिशें

4. एमएसई क्षेत्र को ऋण से संबंधित स्थिति और मुद्दे

4.1 सूक्ष्म व लघु उद्यमों (एमएसई) के सामने आने वाली सभी समस्याओं में से, ऋण से संबंधित मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हैं। एमएसई क्षेत्र की ऋण संबंधी समस्याओं की पूर्व में कई समितियों द्वारा जांच की गई है। इन समितियों की ऋण संबंधी अधिकांश सिफारिशों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा स्वीकार किए जाने के बावजूद, ऋण की उपलब्धता और लागत संतोषजनक नहीं हैं। जबकि एमएसई को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से एडवांसों की मात्रा इन वर्षों में पूर्ण रूप से बढ़ी है, जो मार्च 2000 में 46,045 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2009 में 1,85,208 करोड़ रुपये हो गई है, इस अवधि के दौरान निवल बैंक ऋण (एनबीसी) में एमएसई क्षेत्र को ऋण का अंश 12.5 प्रतिशत से घटकर 10.9 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार सूक्ष्म क्षेत्र को भी निवल बैंक ऋण में, मार्च 2000 में 7.8 प्रतिशत से मार्च 2009 में 4.9 प्रतिशत की कमी हुई है।

4.2 इस क्षेत्र को बैंक वित्त की कम उपलब्धता के प्रमुख कारण एमएसई को ऋण देने में बैंकों की उच्च जोखिम अवधारणा और एमएसई के ऋण आवेदनों की प्रोसेसिंग में उच्च संव्यवहार लागत हैं। कार्य दल ने जिन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, वे निम्नलिखित से संबंधित हैं: (i) बिना किसी परेशानी के पर्याप्त तथा समय पर ऋण सुनिश्चित करना; (ii) ऋण की लागत से संबंधित मुद्दे; (iii) क्षेत्र, खासकर सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को कोलेटरल मुक्त ऋण में वृद्धि; और (iv) इक्विटी पूंजी तक पहुंच के लिए क्षेत्र की क्षमता बढ़ाना।

4.3 सभी स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद तथा पूर्व समितियों/कार्य समूहों द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करते हुए, कार्य दल ने एमएसएमई को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

(i) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूक्ष्म व लघु उद्यमों को वर्ष दर वर्ष ऋण में 20 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करनी चाहिए और अधिक ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों को 60% के आबंटन का सख्ती से पालन करना चाहिए। 1 अप्रैल 2010 से, सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले से स्वीकार्य 60% के लक्ष्य (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के कुल लेंडिंग में) के मुकाबले किसी बैंक की कमी को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के एक उपयुक्त नाम वाली समग्र निधि में डाला जाए। इससे 5 वर्षों की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से सूक्ष्म उद्यमों को लगभग 3 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण प्रवाह में मदद मिलेगी।

(ii) जब तक कि वित्तीय समावेश को प्राप्त नहीं किया जा सके, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 15% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है। इससे 5 वर्षों की अवधि में संस्थागत ऋण के तहत अतिरिक्त 30 लाख सूक्ष्म उद्यमों को शामिल करने में मदद मिलेगी।

(iii) सरकार/आरबीआई/आईबीए द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज को 31 मार्च 2011 तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें सिडबी को दिए गए 7000 करोड़ रुपये की विशेष पुनर्वित्त सुविधा शामिल हो।

(iv) सदस्य (उद्योग), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जा सकती है, जिसमें सचिव, वित्तीय कार्य विभाग, अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ तथा उद्योग के प्रतिनिधि सदस्य होंगे और सचिव, एमएसएमई मंत्रालय उसके सदस्य सचिव हों। समिति (i) नियमित अंतरालों पर एमएसएमई क्षेत्र को संपूर्ण ऋण प्रवाह की निगरानी करेगी, (ii) कृषि व आवास क्षेत्रों के लिए मौजूदा ब्याज छूट योजनाओं की एमएसई के लिए दुहराव की सीमा की जांच, (iii) क्षेत्र को ऋण प्रवाह में संस्थागत अवरोधों की पहचान करना, और (iv) एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए नीतिगत उपाय सुझाना।

(v) एंजेल फंड/जोखिम पूंजी जैसे पूंजी के वैकल्पिक स्रोतों तक पहुंच बनाने में एमएसएमई की क्षमता (खासकर जिसमें नवप्रवर्तन और नई प्रौद्योगिकियां शामिल

हों) को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से, एमएसएमई द्वारा ऐसी निधियों को इस्तेमाल करने में राजकोषीय/विनायमक अवरोधों को दूर करने पर प्राथमिकता से विचार करना चाहिए।

(vi) सिडबी एक सलाहकार समूह की स्थापना करे जिसमें एमएसएमई मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के सदस्य तथा एमएसएमई संघों के प्रतिनिधि हों ताकि सूक्ष्म/असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए गठित विशेष प्रकोष्ठ के संचालनों की निगरानी की जा सके। समूह सूक्ष्म उद्यमों के लिए उद्दिष्ट निधियों की लेंडिंग से संबंधित किसी समस्या को सुलझाने के लिए समय-समय पर बैठक करे। समूह इस उद्देश्य के लिए एक पृथक निकाय की जरूरत पर फैसला करने के लिए एक वर्ष के बाद इस व्यवस्था की प्रभावकारिता की समीक्षा करे।

(vii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) सभी स्टेकहोल्डों के साथ परामर्श से एसएमई एक्सचेंजों की स्थापना की प्रक्रिया को तेज करे।

(viii) बैंकिंग पेनेट्रेशन को सुगम बनाने और राज्य/जिला स्तर पर निगरानी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के उद्देश्य से श्रीमती ऊषा थोरट, डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के नेतृत्व में लीड बैंक योजना की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को प्राथमिकता आधार पर कार्यान्वित किया जा सकता है।

(ix) कार्य दल ने ध्यान दिया कि आरबीआई के कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक कार्य समूह निम्नलिखित मुद्दों पर विचार कर रहा है- (क) एमएसई के लिए कोलेटरल मुक्त ऋण सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाना; और (ख) कोलेटरल/तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना एमएसई को ऋण का अधिक प्रवाह सुगम बनाने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत बैंकों द्वारा एकमुश्त गारंटी शुल्क तथा वार्षिक सेवा शुल्क का समावेश। कार्य समूह अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर प्रस्तुत करेगा।

(x) कार्य दल ने ध्यान दिया कि आरबीआई ने परिपक्वता से पहले प्राप्य का भुगतान करने के विभिन्न विकल्पों की जांच के लिए 'व्यापार ऋण प्राप्यों का सिक्योरिटाइजेशन' पर एक कार्य समूह गठित किया है। एमएसएमई के अधिक लाभ के लिए इस प्रक्रिया को तेज किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय सेवा विभाग एमएसएमई के लिए देश में किसी सहायता के बिना फैक्टरिंग सेवाओं के संवर्धन के लिए एक उपयुक्त कानूनी ढांचा विकसित करने के मुद्दे की जांच कर सकता है।

(xi) एमएसई द्वारा निधियों के उपयोग में विलंब को रोकने के लिए बैंकों को एमएसई के लिए प्रोजेक्ट लोन (जिसमें आवधिक ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों शामिल हों) स्वीकृत करना चाहिए। आरबीआई इसे बैंकों के लिए अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकता है।

(xii) सूक्ष्म व लघु उद्यमों के ऋण आवेदनों के तीव्र निपटान के लिए बैंकों को स्कोरिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(xiii) सूक्ष्म उद्यमों को ऋण वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, 25 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए एक एकरूप ऋण आवेदन फार्म आईबीए द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जो सभी बैंकों पर लागू हो। वित्तीय सेवा विभाग तीन महनों के अंदर एक आदर्श फार्म प्रस्तुत करे।

(xiv) संचालनों में एकरूपता लाने के लिए सभी बैंक एमएसई के लिए बैंकिंग कोड अपनाएं। डीएफएस आरबीआई के माध्यम से इस मामले की जांच करे।

(xv) बैंकों को उद्यमिता तथा कौशल विकास से संबंधित संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करने में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बैंकों द्वारा संविर्धत रूडसेटी (आरयूडीएसईटीआई) को भी विभिन्न एमएसएमई क्लस्टरों को उद्यमिता व कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।

(xvi) आर्थिक मंदी के दौरान हालिया अनुभव को देखते हुए, बैंक, परियोजनाओं की दीर्घकालीन फंडिंग के एक अंग के रूप में प्रचालन के पहले 6-12 महीनों के दौरान ब्याज को शामिल करते हुए एमएसई उद्यमियों को अपने आवधिक ऋणों और कार्यशील पूंजी पर उदार ऋण स्थगन दें।

(xvii) एमएसई के ऋण आवेदनों के समय पर अनुमोदन/अस्वीकृति को सुनिश्चित करने के लिए बैंक एक इलेक्ट्रोनिक ट्रैकिंग सिस्टम लगाएं और उन्हें एक निश्चित अवधि के भीतर उनके ऋण आवेदन की अस्वीकृति के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से, बैंक अंतिम निपटान तक प्राप्त आवेदनों की प्रगति की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर एक प्रतिबद्ध प्रकोष्ठ बनाएं। आरबीआई इस संबंध में बैंकों को उपयुक्त सलाह दे सकता है।

(xviii) जिला उद्योग केंद्र के सहयोग से प्रमुख बैंक अच्छी क्षमता वाले विभिन्न व्यवहार्य कार्यकलापों के लिए आवधिक आधार पर परियोजना प्रोफाइलों का एक शेल्फ विकसित करें। इस संबंध में प्रगति की जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर समीक्षा की जा सकती है।

(xix) जिला का प्रत्येक प्रमुख बैंक कम से कम एक एमएसई क्लस्टर को अपनाए और बैंकों को विभिन्न एमएसई क्लस्टरों में अधिक एमएसई केंद्रित शाखा कार्यालय खोलने चाहिए जो एमएसई के लिए परामर्श केंद्र के रूप में भी काम कर सकते हैं।

(xx) जबकि 50,000 रुपये तक के ऋण सूक्ष्म वित्त के तहत शामिल किए जाते हैं, बैंक सामान्य तौर उच्च जोखिम अवधारणा और संव्यवहार लागतों के कारण 5 लाख रुपये से कम के ऋण प्रदान करने के इच्छुक नहीं होते। बैंक सूक्ष्म उद्यमों के समूह जिन्हें सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा वित्त पोषित किया गया हो और अब उच्च स्तर पर ऋण लेने के लिए तैयार हों, को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत शामिल करते हुए 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के बीच ऋण दे सकते हैं।

(xxi) बैंक अपने अधिकारियों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस द्वारा एसएमई फाइनेंस फॉर बैंकर्स विषय पर संचालित विशेषीकृत प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कार्य दल ने ध्यान दिया कि एक प्रोत्साहन योजना पहले से बैंक में विद्यमान है।

(xxii) एमएसएमई मंत्रालय हेल्पलाइन चलाने वाले विभागों/एजेंसियों से विस्तृत विचार-विमर्श के बाद एक 'एमएसएमई हेल्पलाइन' गठित करें ताकि वह सफल रूप से कार्यान्वित किया जा सके।

भाग III : स्थिति/की गई कार्रवाई

5.1 एमएसएमई मंत्रालय ने समयबद्ध रूप से कार्य दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई शुरू की है। मंत्रालय ने रिपोर्ट में निर्धारित समय सीमा के अनुसार सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों/एजेंसियों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों कों रिपोर्ट परिचालित भी की है। कार्य दल की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के संबंध में कुछ विशिष्ट की गई कार्रवाई निम्नलिखित हैं:

- कार्य दल की सिफारिश के अनुसार, सचिव समिति (सीओएस) द्वारा प्रस्तावित 'एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति' पर विचार किया गया है। सीओएस द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर, मंत्रालय ने नीति को अंतिम रूप दिया है और संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां/मत प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।
- एमएसएमई के संवर्धन व विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वायत्त निकाय की संरचना की सिफारिश के लिए सदस्य (उद्योग), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है, जिसमें एमएसमएई मंत्रालय के सचिव और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, डिप्टी गवर्नर, आरबीआई; अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई); सीएमडी, सिडबी; सीईओ, केवीआईसी; सीएमडी, एनएसआईसी; निदेशक व मुख्य कार्यकारी, आईसीआरआईईआर और अध्यक्ष, विकास क्रेडिट बैंक लिमिटेड सदस्य होंगे।
- कार्यकारी निदेशक, आरबीआई की अध्यक्षता में क्रेडिट गारंटी योजना पर कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।